

# MISSION SSC 2024



GS/GK

Mahendra's

# TOPIC BOOSTER 6 RGHTS









#### **RIGHT TO EQUALITY (ARTICLE- 14 TO 18)**

Art. 14- Equality Before Law

Art. 15- Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth

Art. 16- Equality of opportunity in public employment

Art. 17- Abolition of untouchability

Art. 18- Abolition of Titles



#### समानता का अधिकार (अनुच्छेद- 14 से 18)

14- कानून के समक्ष समानता 15- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध 16- सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता 17- अस्पृश्यता का उन्मूलन

18- उपाधियों का उन्मूलन



#### **Right To Freedom (Articles-19 to 22)**

Art 19- Freedom of speech, expression, movementArt 20- Protection from a conviction for offensesArt 21- Right to Life & Personal LibertyArt 22- Protection against arrest or detention



#### स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद- 19 से 22)

अनुच्छेद 19- बोलने, अभिव्यक्ति, आंदोलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 20- अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण अनुच्छेद 21- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 22- गिरफ्तारी या हिरासत से संरक्षण



Protection of six rights regarding freedom of (Article 19):

(i) speech and expression

(ii) assemble peacefully and without arms,

(iii) Form associations or unions

(iv) Move freely throughout the territory of India,

(v) Reside of settling in any part of the country,

(vi) Practice any profession or carry any trade or business



(अनुच्छेद 19) की स्वतंत्रता से संबंधित छह अधिकारों का संरक्षण: (i) भाषण और अभिव्यक्ति (ii) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना, (iii) संघ या यूनियन बनाना (iv) भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमें, (v) देश के किसी भी भाग में बसने का स्थान, (vi) कोई भी पेशा अपनाएं या कोई व्यापार या व्यवसाय करें



#### Right Against Exploitation (Article- 23 & 24) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद- 23 एवं 24)

Art 23- Protection from Trafficking & Forced Labour

Art 24- Ban on child labor

अनुच्छेद 23- तस्करी और जबरन श्रम से सुरक्षा अनुच्छेद 24- बाल श्रम पर रोक



- Prohibition of traffic in human beings and forced labor. (Article 23)
- Traffic in human beings and beggars and other similar forms of forced labor are prohibited.
- Prohibition of employment of children in factories, etc. (Article 24)
- No child below the age of 14 years can be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment



- मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक। (अनुच्छेद 23)
- मानव तस्करी और भिखारियों और अन्य समान प्रकार के जबरन श्रम निषिद्ध हैं।
- कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 24)
- 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम पर नहीं लगाया जा सकता या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता



Right To Freedom of Religion (Articles- 25-28) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद- 25-28)

Art 25- Freedom to practice one's own religion

Art 26- Freedom to manage religious affairs

Art 27- No taxation for the promotion of religion

Art 28- Freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in institutions



अनुच्छेद 25- अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26- धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 27- धर्म के प्रचार के लिए कोई कराधान नहीं अनुच्छेद 28- संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता



### Cultural & Educational Rights (Articles 29-30) सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

Art 29- To Protect & Preserve the minorities

Art 30- Right of minorities to administer educational institutions अनुच्छेद 29- अल्पसंख्यकों की रक्षा एवं संरक्षण करना अनुच्छेद 30- शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार



- Protection of language, script, and culture of minorities (Article 29)
- Where a religious community is in the minority, the constitution enables it to preserve its culture and religious interests.
- अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण (अनुच्छेद 29)
- जहां कोई धार्मिक समुदाय अल्पसंख्यक है, संविधान उसे अपनी संस्कृति और धार्मिक हितों को संरक्षित करने में सक्षम बनाता है।



- Right of minorities to establish and administer educational institutions (Article 30)- Such communities have the right to establish educational institutions of their choice and the state shall not discriminate against such an educational institution maintained by a minority community
- शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार (अनुच्छेद 30) - ऐसे समुदायों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है और राज्य अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित ऐसे शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा।



Right To Constitutional Remedies (Article 32) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

Art 32- Remedies for enforcement of rights अनुच्छेद 32- अधिकारों को लागू करने के उपाय







## **THANK YOU**

**Endig**